भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1196
उत्तर देने की तारीख: 10.12.2025

वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह और देखभाल सुविधाएं

1196. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित किए गए वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों, निरंतर देखभाल गृहों और अन्य समान सुविधाओं की संख्या और उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय/राज्य अनुदानों के माध्यम से या सीधे केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाने वाले वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों/वृद्धाश्रमों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसी सुविधाओं का विस्तार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान एल्डर लाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों, उनका निस्तारण और अंतिम निपटान की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। ऐसे गृहों में रहने वाले गरीब वरिष्ठ नागरिकों को रहने की जगह, पोषण, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। सहायता प्रदान किए गए वरिष्ठ नागरिक गृहों की संख्या और उनमें रहने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

एवीवाईएवाई स्कीम के आईपीएसआरसी घटक के अंतर्गत कमी वाले जिलों में स्थित वरिष्ठ नागरिक गृहों और ऐसे जिले, जिनमें वरिष्ठ नागरिक गृहों की क्षमता पर्याप्त नहीं है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

(घ): एल्डरलाइन 01.10.2021 से प्रचालन में है। 01.10.2021 से एल्डरलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

संलग्नक-I

"वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह और देखभाल सुविधाएं" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1196, जिसका उत्तर दिनांक 10.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) में संदर्भित संलग्नक

पिछले 05 वर्षों के दौरान सहायता प्रदान किए गए वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धाश्रमों की परियोजनाओं की संख्या और लाभार्थियों की संख्या:-

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		गृहों की संख्या	लाभार्थी	गृहों की संख्या	लाभार्थी	गृहों की संख्या	लाभार्थी	गृहों की संख्या	लाभार्थी	गृहों की संख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	84	1875	76	1650	75	1625	74	1600	74	1600
2	अरुणाचल प्रदेश	2	100	1	50	1	50	1	50	1	50
3	असम	38	1190	34	1090	32	1040	30	990	30	990
4	बिहार	1	50	0	0	0	0	9	400	9	400
5	छत्तीसगढ़	3	150	3	150	3	150	3	150	3	150
6	दिल्ली	3	100	2	75	1	50	2	75	2	75
7	गोवा	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	8	275	6	200	6	200	8	250	10	325
9	हरियाणा	17	575	11	425	11	425	12	450	12	450
10	हिमाचल प्रदेश	2	50	1	25	1	25	2	50	2	50
11	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	13	450	13	450
12	झारखंड	2	75	0	0	2	50	3	100	3	100
13	कर्नाटक	38	970	35	895	38	995	40	1045	40	1045
14	केरल	3	100	1	50	1	50	3	100	3	100
15	मध्य प्रदेश	16	475	14	425	16	475	34	1075	34	1075

16	महाराष्ट्र	78	2095	62	1545	52	1295	47	2135	47	2135
17	मणिपुर	36	1150	24	850	24	850	38	1200	38	1200
18	मेघालय	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
19	मिजोरम	2	50	0	0	0	0	4	100	4	100
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	5	225	5	225
21	ओडिशा	84	2275	99	2650	86	2325	82	2125	82	2125
22	पुदुच्चेरी	1	25	2	50	2	50	2	50	2	2
23	पंजाब	3	75	0	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	21	550	24	625	26	675	26	675	26	675
25	तमिलनाडु	75	2075	76	2100	74	2050	72	2000	70	1950
26	तेलंगाना	19	650	16	575	16	575	19	650	19	650
27	त्रिपुरा	3	75	3	75	3	75	2	50	2	50
28	उत्तर प्रदेश	34	965	34	965	37	1065	40	1140	43	1240
29	उत्तराखंड	2	75	2	75	2	75	2	75	2	2
30	पश्चिम बंगाल	28	800	25	725	26	750	28	800	28	800
	कुल	**607**	**17045**	**553**	**15370**	**537**	**15020**	**603**	**18110**	**606**	**18114**

संलग्नक-II

"वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह और देखभाल सुविधाएं" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1196, जिसका उत्तर दिनांक 10.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) में संदर्भित संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (30.11.2025 तक)
1.	अंडमान और निकोबार	प्रचालनरत नहीं। संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।			आर = 112 ए = 42 डी = 42	आर = 132 ए = 93 डी = 93
2.	आंध्र प्रदेश	आर = 32509 ए = 10317 डी = 7573			प्रचालनरत नहीं। राज्य के विभाग ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।	
3.	अरुणाचल प्रदेश	आर = 84 ए = 59 डी = 42	आर = 356 ए = 328 डी = 311	आर = 425 ए = 400 डी = 400	आर = 258 ए = 235 डी = 219	आर = 187 ए = 169 डी = 160
4.	असम	आर = 2041 ए = 2041 डी = 2041	आर = 1917 ए = 1917 डी = 186	आर = 186 ए = 186 डी = 186	आर = 569 ए = 569 डी = 569	आर = 649 ए = 649 डी = 649
5.	बिहार	आर = 4547 ए = 1663 डी = 1663	आर = 26454 ए = 13454 डी = 13454	आर = 6956 ए = 1990 डी = 1990	आर = 107 ए = 54 डी = 54	आर = 5705 ए = 2788 डी = 2788
6.	चंडीगढ़	आर = 1454 ए = 1454 डी = 1454	आर = 5088 ए = 5088 डी = 5088	आर = 2359 ए = 2359 डी = 2359	आर = 435 ए = 435 डी = 435	आर = 1448 ए = 725 डी = 336
7.	छत्तीसगढ़	आर = 293 ए = 247 डी = 222	आर = 328 ए = 308 डी = 287	आर = 381 ए = 352 डी = 298	आर = 188 ए = 166 डी = 149	आर = 162 ए = 151 डी = 142
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	आर = 3000 ए = 1500 डी = 800	आर = 4028 ए = 1998 डी = 924	आर = 3514 ए = 1749 डी = 862	आर = 406 ए = 406 डी = 325	आर = 12 ए = 10 डी = 10
9.	दिल्ली	आर = 1914 ए = 1914 डी = 1914	आर = 2690 ए = 2690 डी = 2690	आर = 1729 ए = 1729 डी = 1729	आर = 09 ए = 09 डी = 09	आर = 1529 ए = 1529 डी = 1524

10.	गोवा	आर = 1170 ए = 277 डी = 113	आर = 1070 ए = 380 डी = 222	आर = 1240 ए = 255 डी = 188	आर = 2540 ए = 1115 डी = 997	आर = 1100 ए = 772 डी = 569
11.	गुजरात	आर = 12386 ए = 3704 डी = 3444	आर = 39698 ए = 6480 डी = 2744	आर = 26261 ए = 2913 डी = 2520	आर = 14056 ए = 1451 डी = 1239	आर = 10075 ए = 1180 डी = 1468
12.	हरियाणा	प्रचालनरत नहीं। राज्य के विभाग ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।			आर = 06 ए = 04 डी = 04	आर = 305 ए = 287 डी = 284
13.	हिमाचल प्रदेश	आर = 2043 ए = 1290 डी = 1290	आर = 2576 ए = 1563 डी = 1563	आर = 652 ए = 380 डी = 380	आर = 1129 ए = 753 डी = 753	आर = 1962 ए = 1176 डी = 1176
14.	जम्मू-कश्मीर	आर = 5306 ए = 2511 डी = 1714	आर = 21950 ए = 9688 डी = 4511	आर = 7256 ए = 2925 डी = 1693	आर = 1423 ए = 467 डी = 101	आर = 620 ए = 377 डी = 83
15.	झारखंड	आर = 1957 ए = 447 डी = 201	आर = 1557 ए = 400 डी = 158	आर = 2357 ए = 494 डी = 244	आर = 104 ए = 104 डी = 79	आर = 299 ए = 299 डी = 145
16.	कर्नाटक	आर = 2196 ए = 2196 डी = 1286	आर = 3428 ए = 3428 डी = 3428	आर = 1286 ए = 1286 डी = 1286	आर = 1010 ए = 1010 डी = 1010	आर = 1029 ए = 1029 डी = 970
17.	केरल	आर = 3956 ए = 3956 डी = 3956	आर = 2051 ए = 2051 डी = 2046	आर = 494 ए = 494 डी = 491	आर = 214 ए = 214 डी = 214	आर = 472 ए = 472 डी = 469
18.	लक्षद्वीप	प्रचालनरत नहीं। संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।				
19.	लेह, लद्दाख	प्रचालनरत नहीं। संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।	आर = 369 ए = 300 डी = 300	आर = 181 ए = 150 डी = 150	आर = 30 ए = 20 डी = 20	आर = 300 ए = 250 डी = 250
20.	मध्य प्रदेश	आर = 34571 ए = 11093 डी = 6132	आर = 39464 ए = 11122 डी = 5993	आर = 31986 ए = 8737 डी = 5466	आर = 10590 ए = 2957 डी = 2554	आर = 11611 ए = 3418 डी = 3145

21.	महाराष्ट्र	आर = 8129 ए = 8129 डी = 8219	आर = 19328 ए = 19328 डी = 19328	आर = 13397 ए = 13397 डी = 13397	आर = 6260 ए = 6260 डी = 6260	आर = 7011 ए = 7011 डी = 7011
22.	मणिपुर	आर = 188 ए = 188 डी = 188	आर = 683 ए = 683 डी = 683	आर = 31 ए = 31 डी = 31	आर = 172 ए = 172 डी = 172	आर = 59 ए = 59 डी = 52
23.	मेघालय	आर = 192 ए = 148 डी = 128	आर = 320 ए = 305 डी = 288	आर = 408 ए = 358 डी = 341	प्रचालनरत नहीं। राज्य के विभाग ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। राज्य द्वारा मंत्रालय को दिनांक अगस्त, 2025 के पत्र द्वारा भेजे गए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी तक एनआईएसडी को समझौता-ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।	
24.	मिजोरम	आर = 252 ए = 252 डी = 252	आर = 692 ए = 692 डी = 692	आर = 327 ए = 327 डी = 327	आर = 43 ए = 43 डी = 43	आर = 72 ए = 72 डी = 72
25.	नागालैंड	आर = 1271 ए = 765 डी = 365	आर = 2023 ए = 1765 डी = 1365	आर = 2200 ए = 1945 डी = 1506	आर = 1758 ए = 1567 डी = 1200	आर = 2123 ए = 1980 डी = 1117
26.	ओडिशा	आर = 4332 ए = 2485 डी = 1727	आर = 1220 ए = 912 डी = 800	आर = 2000 ए = 1722 डी = 1423	आर = 43 ए = 43 डी = 31	आर = 593 ए = 593 डी = 111
27.	पुदुच्चेरी	आर = 624 ए = 624 डी = 560	आर = 1430 ए = 1430 डी = 1538	आर = 1011 ए = 1011 डी = 894	आर = 355 ए = 355 डी = 295	अप्रैल, 2025 से कोई कॉल अधिकारी नहीं (मंत्रालय के निर्देशानुसार)
28.	पंजाब	आर = 16586 ए = 8219 डी = 3847	आर = 19634 ए = 4849 डी = 3420	आर = 15129 ए = 2645 डी = 1965	आर = 8584 ए = 813 डी = 842	आर = 17994 ए = 2956 डी = 2930
29.	राजस्थान	आर = 1140 ए = 932 डी = 932	आर = 2110 ए = 1931 डी = 1931	आर = 2230 ए = 1931 डी = 1931	आर = 3140 ए = 2871 डी = 2871	आर = 3245 ए = 2931 डी = 2931

30.	सिक्किम	प्रचालनरत नहीं। राज्य के विभाग ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।			आर = 05 ए = 05 डी = 05	आर = 04 ए = 04 डी = 04
31.	तमिलनाडु	आर = 4325 ए = 4325 डी = 4325	आर = 4394 ए = 4394 डी = 4394	आर = 2201 ए = 2201 डी = 2201	आर = 4283 ए = 4283 डी = 4283	आर = 3388 ए = 3388 डी = 3388
32.	तेलंगाना	आर = 6754 ए = 6754 डी = 6754	आर = 3697 ए = 3697 डी = 3697	आर = 3145 ए = 3145 डी = 3145	आर = 1163 ए = 1163 डी = 1116	आर = 310 ए = 310 डी = 271
33.	त्रिपुरा	प्रचालनरत नहीं। राज्य के विभाग ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।	आर = 39 ए = 39 डी = 39	आर = 04 ए = 04 डी = 04	आर = 08 ए = 08 डी = 06	आर = 25 ए = 25 डी = 22
34.	उत्तर प्रदेश	आर =125287 ए = 19501 डी = 18756	आर =229486 ए = 29754 डी = 29155	आर = 10876 ए = 7303 डी = 6702	आर = 32792 ए = 3145 डी = 2795	आर = 28643 ए = 4190 डी = 297
35.	उत्तराखंड	आर = 19865 ए = 6101 डी = 1278	आर = 7704 ए = 3537 डी = 1342	आर = 1566 ए = 922 डी = 353	आर = 3511 ए = 377 डी = 30	आर = 489 ए = 156 डी = 17
36.	पश्चिम बंगाल	प्रचालनरत नहीं। राज्य के विभाग ने केंद्र के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।				

नोट: आर=कॉल प्राप्त; ए=अटेंड किया गया कॉल; डी=निपटाया गया कॉल।